न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 43सी /2025
राजेश रंजन कुमार बनाम् रामकिशोर वर्मा
प्रतिवादी के विद्धान अधिवक्ता– सियाराम शर्मा

04.05.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज आदेश हेतू निर्धारित है। परिवादी की ओर से पैरवी है। मामले में न्यायालय शपथ पर बयान, जॉच साक्ष्य, एवं परिवाद पत्र का अवलोकन करती है। शपथ पर बयान के अनुसार घटना 10.02.2025 की है। 11:00 बजे दिन की घटना है। देवी स्थान पर वर्षो पुराना मंदिर है। वहॉ पर रामकिशोर वर्मा रास्ता ले जाना चाहते है। मना करने पर फाइरिंग किया। 30 हजार रूपया छीन लिया। गाली–गलौज तथा मार–पीट किया और कहते है की मंदिर तोड़ देंगे। मंदिर से मेरा कोई मतलब नही है।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में परिवादी ने कहा की थाने में सूचना दिये केस नही लिया गया। अभियुक्त मेरे गॉव के है। मंदिर सरकारी जमीन में है।

प्रस्तुत मामला भा0 न्याय0 संहि0 के लागू होने से बाद का है अतः अभियुक्तो को नोटिस निर्गत किया गया है। अभियुक्त उपस्थित हुए उनका कथन है की आरोप पूरी तरह से झूठा, काल्पनिक और मनगढंत है, हमलोगो ने पहले केस किया है उसी के प्रतिशोध में यह केस किया गया है। मामले में प्रतिरक्षा का कहना है की मामला जमीनी विवाद है और विवादित स्थान अभियुक्त का है इस संबंध में प्रस्तावित अभियुक्त की तरफ से अंचल अधिकारी अरवल के कार्यालय का आदेश दिनांक 15.04.2025 प्रस्तुत किया गया है। तथा विवादित जमीन के संबंध में अंचल अमीन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन भी दिया गया। इसके अलावा प्रतिरक्षा ने पैनड्राईव भी दिया उनका कहना है की इन लोगो को जबरन फॅसाया जा रहा है। उनका इस मामलें से किसी तरह से कोई भी लेना देना नही है।

प्रस्तुत मामले में जब न्यायालय परिवाद पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी के बयान , जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की मामलें में परिवादी के साथ रामकिशोर वर्मा के द्वारा मार–पीट, गाली–गलौज तथा 30,000/– रूपया छीन लिया गया। साक्षियो ने घटना का समर्थन किया है। यह तथ्य अभिलेख पर है की मामलें मंदिर के पास रास्ता बनाने को लेकर के हुआ।

अब न्यायालय समस्त साक्ष्यों के आधार पर समस्त अभिलेख का अवलोकन करती है तब न्यायालय **भगवती देवी बनाम् उतर प्रदेश राज्य 1975 ए. आई. आर.83 एस.सी. में दिए गए निर्देश जिसमें कहा गया है की शिकायत का संज्ञान लेना प्रारंभिक जॉच का हिस्सा है, संज्ञान का अर्थ यह नहीं है की आरोपी को दोषी माना जा रहा है बल्कि यह केवल यह तय करने के लिए है की मामला सुनवाई योग्य है की नहीं।**

अगर शिकायत प्रथम दृष्ट्या अपराध को दर्शाती है तो मैजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है, न्यायालय को प्रारंभिक चरण में अत्यधिक साक्ष्यों की मांग नहीं करनी चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय नुपुर तलवार बनाम केंद्रीय जॉच ब्यूरो (2012)11 एस.सी.सी. 465 में स्पष्ट कहा है की मैजिस्ट्रेट को शिकायत के तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, अगर प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो संज्ञान लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। संज्ञान के समय गहराई से साक्ष्य की सत्यता की जॉच करना आवश्यक नहीं है, यह कार्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर0आर0 चारी बनाम् उत्तरप्रदेश राज्य ए0आई0आर 1951 एस0सी0 207 में कहा है की संज्ञान लेने

CIVIL COURT ARWAL

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 43सी /2025
राजेश रंजन कुमार बनाम् रामकिशोर वर्मा
प्रतिवादी के विद्धान अधिवक्ता– सियाराम शर्मा

समय मैजिस्ट्रेट को सिर्फ यह देखना होता है की गयी शिकायत से अपराध के बारे में खुलासा होता है या नही। उस समय बहुत ज्यादा विस्तृत में देखने की आवश्यकता नही होती हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय निर्मलजीत सिंह हून बनाम् पश्0 बंगाल राज्य (1973)3एस0सी0सी0 753 में कहा है की संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट को केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना आवश्यक हैं। यह संतुष्टि बहुत उच्च स्तर की नही होनी चाहिए। यदि शिकायत में आवश्यक तत्व दिख जाये तो मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय कर्नाटक राज्य बनाम पी0पी0 राजू (2006)6 एस0सी0सी0728 में कहा है की संज्ञान के स्तर पर मैजिस्ट्रेट को सारे साक्ष्यों का मूल्यांकन नही करना होता है, सिर्फ अपराध बनने का संकेत ही काफी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय बिहार राज्य बनाम मुराद अली (1988)4 एस0सी0सी0655 में कहा है की मैजिस्ट्रेंट को संज्ञान लेने से पहले साक्ष्यों को गहराई से तौलने की आवश्यकता नही है, अगर न्यायिक संतुष्टि प्रथम दृष्टया होती है तब संज्ञान लिया जा सकता है।

न्यायालय के सामने परिवादी के द्वारा की गयी शिकायत के तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में एक तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी के साथ अभियुक्त रामकिशोर वर्मा के द्वारा मार–पीट गाली–गलौज तथा 30,000/– हजार रूपये भी परिवादी से छीन लिया। फायरिंग करने की भी बात साक्ष्य में आयी है लेकिन इस संबंध में आवश्यक तथ्य नही है, अन्य अभियुक्तो के विरू0 पर्याप्त तथ्य नही है। मामलें में मार–पीट गाली–गलौज तथा चोरी के संबंध में पर्याप्त तथ्य है। इस प्रकार से प्रस्तुत मामले में न्यायालय मामले में संज्ञान के स्तर पर जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित तथ्यों का अवलोकन करती है तो न्यायालय यह पाती है कि संज्ञान के समय न्यायालय केवल यह देखती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है या नहीं। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि मामले में अतः प्रस्तुत न्यायालय मामले में अभियुक्त रामकिशोर वर्मा के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 115(2), 303(2), 351(2)/3(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाती है अतः **अभियुक्त रामकिशोर वर्मा के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 115(2), 303(2), 351(2)/3(5) के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।**

परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक–04.06.2026 तक समन की अपेक्षिताएं जमा करें।

लेखापित,

मनीष कुमार पाण्डेय
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

CIVIL COURT ARWAL